प्रेम कुमार व अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य. व अन्य

7 मई 2007

(डा०अरिजीत पासायत एवं डी०के०जैन, न्यायाधिपतिगण)

भारत का संविधान,1950- अनुच्छेद 226- पक्षकार का असंयोजन, प्रत्यर्थीगण ने अपीलकर्ताओं को पक्षकार बनाए बिना, रिट याचिका दायर की- उच्च न्यायालय ने इसे प्र प्रछन्न तरीके से संक्षेप में निपटाया- तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया, अपीलकर्ताओं को पक्षकार बनाए बिना, उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया जा सकता - मामला नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया - अपीलकर्ताओं को कार्यवाही में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया - उप्र. भूमि जोत अधिनियम, 1960- धारा 10(2) पर सीमा का अधिरोपण)

वर्तमान अपील में, प्राथमिक तर्क यह है कि प्रत्यर्थीगणों ने, अपीलकर्ताओं को पक्षकार बनाए बिना, एक रिट याचिका दायर की और बिना किसी विस्तृत चर्चा के, उच्च न्यायालय ने यूपी के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित 1986 के आदेश पर भरोसा करते हुए इसकी अनुमति दे दी। भूमि जोत अधिनियम, 1960 पर सीलिंग का अधिरोपण, जो अपीलार्थी व तीन अन्य व्यक्तियों के संबंध में प्रभाव नहीं रखता था।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए

निर्धारित किया- उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का संक्षेप में और बल्कि प्रच्छन्न तरीके से निपटारा किया। इसके आदेश में दिनांक 21.3.1986 के आदेश के प्रभाव के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। ऐसा होने पर, अपीलकर्ताओं को पक्षकार बनाए बिना विवादित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। इसलिए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए प्रतिप्रेषित किया

जाता है। अपीलकर्ताओं को कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाएगा। पैरा 7 और 10] [103- जी- एच; 104- एफ- जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 2392/2007

अंतिम निर्णय आदेश दिनांक 25.02.2023 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सिविल याचिका संख्या 43437/2002 में पारित किया गया।

अपीलकर्ताओं की ओर से- राकेश द्विवेदी और लक्ष्मी रमण सिंह।

प्रत्यर्थीगण की ओर से- एस०आर०सिंह, राजीव दुबे, कमलेन्द्र मिश्रा, नितिन भारद्ज एवं मृदुला राय भारद्वाज।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डा०अरिजीत पासायत न्यायाधिपति, 1.अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दी गई है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दे दी

3. अपील में प्राथमिक आपत्ति है कि प्रत्यर्थीगण ने वर्तमान अपीलार्थीगण को संयोजित किये बिना रिट याचिका दाय की और बिना किसी विस्तृत विवेचन के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को आदेश दिनांक 21.03.1986 पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जो विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था। वर्तमान अपीलार्थीगण के संबंध में उक्त आदेश किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रखता था।

4. संक्षेप में आधारभूत तथ्य इस प्रकार हैं:

5. उत्तरप्रदेश भूमि जोत अधि॰ 1960 की धारा 10(2) (संक्षिप्त में अधि॰) के तहत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस भैरो प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और राम प्रसाद को जारी किया गया था और दिनांक 13.2.1979 के आदेश द्वारा कुछ भूमियों को अधिशेष घोषित किया गया था। एक अपील प्रस्तुत कर उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। विद्वान जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद ने दिनांक 3.2.1981 के आदेश द्वारा मामले को विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। प्राधिकारी को जगन्नाथ, भैरो प्रसाद, माधो प्रसाद और श्रीमती गंगा देवी द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों के प्रभाव को तय करने का निर्देश दिया गया। विहित प्राधिकारी ने दिनांक 21.3.1986 के एक आदेश द्वारा मामले का निर्णय किया और जगन्नाथ, माधो प्रसाद और गंगा देवी की लगभग 107 बीघा भूमि को अधिशेष घोषित किया। इस आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती अतिरिक्त आयुक्त, इलाहाबाद डिवीजन, इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 11.12.1995 के आदेश को थी, जिसके तहत दिनांक 31.1.1994 और 23.9.1995 के आदेशों के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई थी।

7. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का संक्षेप में ही निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ एक प्रच्छन्न तरीके से निपटारा कर दियाः

"याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब उपरोक्त आदेश दिनांक 21.3.1986 द्वारा विहित प्राधिकारी ने मामले का विनिश्चय करते हुए 107 बीघे के क्षेत्र को अधिशेष घोषित किया गया और यह आदेश अंतिम हो गया है क्योंकि इसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी, केवल 107 बीघे का क्षेत्र ही राज्य द्वारा लिया जा सकता था। अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 25.9.2002 और 30.3.2002 संवहनीय नहीं हैं।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये निवेदन तर्क सम्मत है। रिट याचिका सफल होती है और आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। विहित प्राधिकारी और अपर आयुक्त, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद द्वारा पारित क्रमशः आक्षेपित आदेश दिनांक 30.3.2002 और

25.9.2002 को अपास्त किया जाता है। यह निर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को अधिशेष भूमि के रूप में 107 बीघे का क्षेत्र मिला है, जिस पर कब्जा, यदि पहले नहीं लिया गया है, तो इस आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर राज्य द्वारा लिया जा सकता है। "

8. जो अपीलकर्ता दी गई अनुमति के अनुसरण में उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, उन्होंने यह अपील दायर की है। उनके अनुसार दिनांक 21.3.1986 का आदेश जगन्नाथ, माधो प्रसाद और गंगा देवी से संबंधित था और जहां तक वर्तमान अपीलकर्ताओं का संबंध है, इसका इससे कोई लेना- देना नहीं है। वास्तव में विहित प्राधिकारी/ मुख्य राजस्व अधिकारी ने दिनांक 31.1.1994 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि विवाद राम प्रसाद और भैरो प्रसाद से संबंधित नहीं है। विहित प्राधिकारी/ मुख्य राजस्व अधिकारी के आदेश दिनांक 23.9.1995 एवं 31.1.1994 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, आदेशों की कोई सुसंगता नहीं है।

9. प्रत्यर्थीगण के विद्वान वकील ने पूर्व में प्रस्तुत याचिका संख्या 11749/1995 में दिये निर्देशो की सुसंगता के बारे में तर्क दिया।

10. हमने पाया कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में भैरो प्रसाद और राम प्रसाद की भूमि पर दिनांक 21.3.1986 के आदेश के प्रभाव का कोई निर्देश नहीं है। ऐसा होने पर, अपीलकर्ताओं को पक्षकार बनाए बिना विवादित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। अतः, हम उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को अपास्त करते हैं और मामले को नए सिरे से विचार के लिए उसके पास प्रतिप्रेषित करते हैं। वर्तमान अपीलकर्ताओं को कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाएगा। उन्हें प्रति शपथ पत्र यदि कोई हो प्रस्तुत करने हेतु 08 सप्ताह का समय दिया जाता है। उच्च न्यायालय यिद आवश्यक समझे तो याचिकाकर्ता को अग्रिम शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय दे सकता है। उ०प्र०राज्य भी प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते है यदि ऐसी सलाह हो।

11. अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अपील निस्तारित की गई।

(घनश्याम शर्मा)
न्यायिक अधिकारी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक **घनश्याम शर्मा** (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए, निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।